न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
राजस्व वाद 111/2022(2022/)

1. गरीबा पुत्र कल्याण जाति रेगर निवासी ग्राम जूनिया तहसील केकडी जिला अजमेर। ---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर। --- अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः-
प्रार्थी वकील :- श्री महेन्द्र जोशी
प्रत्यर्थी सरकार :- जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 21.6.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम जूनिया तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबंदी संवत 2073-76 में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है।

खाता संख्या (नया-पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
219-184	4084	0.70	बरानी 2
	4910	0.23	चाही 2 जाव 2
	4911	0.04	रास्ता
	4912	0.17	नहरी 1
	4913	0.11	नहरी 1
	4949	0.15	नहरी 1
	4950	0.18	
	5040	0.50	
	5043	0.22	
	5057	0.04	
	5058	0.07	
	6690/5055	0.35	
	किता 12	कुल रकबा 2.13	

उक्त में वर्णित आराजीयात प्रार्थी की कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात है जिसमें प्रार्थी ही बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज है प्रार्थी का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा हैं । प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी के नाम बतोर खातेदार काश्तकार के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अपने कृषि आराजीयात में सुधार कार्य व तारबंदी करवाना चाहते है जिसके लिए खातेदारी से स्थायी पत्थरमढी होकर सीमांकन हो जावे तो खेत पडोस व अन्य खातेदार से किसीप्रकार विवाद नही हो इसलिए प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

अपने कृषि आराजीयात पर पत्थरगढी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने अप्रार्थी के कार्यालय में दिनांक 6.6.2022 को उक्त आराजी की स्थायी पत्थरगढी करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी ने श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का हिस्से अनुसार स्थायी पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है जिससे की अन्य खातेदारों व अन्य पडोसीयों से किसी प्रकार का मौके पर विवाद उत्पन्न नहीं हो। इसलिए आराजी की स्थायी पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करवाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः स्थायी पत्थरगढी कराने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार तहसीलदार केकडी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब टिप्पणी जिसमें बताया संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार वाद वर्णित आराजी खातेदार भूमि है राजहित प्रभावित नही है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्राथी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वय की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी बाबत ग्राम जूनिया तहसील केकडी के खाता संख्या नया पुराना 219–184 के खसरा संख्या 4084, 4910, 4911, 4912, 4913, 4949, 4950, 5040, 5043, 5057, 5058, 6690/5055 रकबा 0.07, 0.23, 0.04, 0.17, 0.11, 0.15, 0.18, 0.50, 0.22, 0.04, 0.07, 0.35हैक्टर कुल किता 12 कुल रकबा 2.13हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिको की टीम गठित करके की जावे। खर्चा फरिकैन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)